

[2025] 1 एस.सी.आर. 62 : 2025 आई.एन.एस.सी. 14

श्री महेश

बनाम

संग्राम एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 36-37/2025)

दिनांक 02 जनवरी, 2025

[सी.टी. रविकुमार\* एवं प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीशगण]

### विचारणीय मुद्दा

यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) एवं 12(सी) के प्रावधानों के प्रभाव से, प्रतिवादी सं.1—दत्तक माता, अपीलकर्ता—दत्तक पुत्र के दत्तक ग्रहण से पूर्व ही संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी बन जाएगी; तथा दत्तक माता द्वारा तत्पश्चात निष्पादित विक्रय विलेख एवं उपहार विलेख पर दत्तक ग्रहण का क्या प्रभाव होगा।

### शीर्ष टिप्पणियाँ†

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धाराएँ 13, 14 – हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 – धाराएँ 12, 16 – संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 – धारा 122 – दत्तक ग्रहण के प्रभाव – ‘पश्चप्रभाव का सिद्धांत – संपत्ति के मूल स्वामी की मृत्यु – उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी दो पत्नियों के बीच संपत्ति विवाद – समझौता डिक्री के आधार पर संपत्ति का विभाजन – तत्पश्चात प्रथम पत्नी/प्रतिवादी सं.1, जो निःसंतान थी, ने अपीलकर्ता को दत्तक लिया – तेरह वर्ष बाद प्रतिवादी सं.1 ने अनुसूची ‘क’ संपत्तियों के संबंध में विक्रय विलेख तथा अनुसूची ‘ख’ एवं ‘ग’ संपत्तियों के संबंध में उपहार विलेख निष्पादित किया – अपीलकर्ता ने विभाजन एवं पृथक कब्जे हेतु वाद दायर किया तथा विक्रय विलेख एवं उपहार विलेख को चुनौती दी – विचारण न्यायालय ने उपहार विलेख को शून्य घोषित करते हुए अनुसूची ‘ख’ एवं ‘ग’ की सम्पूर्ण संपत्तियाँ अपीलकर्ता को प्रदान कीं, यह मानते हुए कि वह प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है, तथा विक्रय विलेख को वैध ठहराते हुए चुनौती अस्वीकार की – उच्च न्यायालय ने उपहार विलेख के संबंध में आदेश को निरस्त किया, परंतु विक्रय विलेख को यथावत रखा – हस्तक्षेप:

अभिनिर्धारित किया गया कि: पश्चप्रभाव का सिद्धांत यह है कि विधवा द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण उसके पति की मृत्यु की तिथि से प्रभावी माना जाएगा, जिससे संयुक्त संपत्ति में तात्कालिक सहभाजन अधिकार उत्पन्न होता है, अर्थात् दत्तक पुत्र को ऐसे माना जाएगा मानो वह मृत पति से जन्मा हो और वह

\*लेखक

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। प्रतिवादी सं.1 मूल स्वामी की विधवा द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण दत्तक पिता की मृत्यु की तिथि से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिवादी सं.1 दत्तक माता द्वारा किए गए सभी वैध संपत्ति अंतरण अपीलकर्ता दत्तक पुत्र पर बाध्यकारी होंगे। दत्तक पुत्र का पूर्व अंतरणों को चुनौती देने का अधिकार इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिवादी सं.1 के पास अंतरण करने की क्या क्षमता थी तथा अंतरण की प्रकृति क्या थी। प्रथम अंतरण वह है जिसमें प्रतिवादी सं.1 ने संपत्तियों का विक्रय किया – अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष कि प्रतिवादी सं.1 को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था, हस्तक्षेप योग्य नहीं है – ‘पश्चप्रभाव के सिद्धांत’ के अनुसार अपीलकर्ता उक्त अंतरण से बंधित है। जहाँ तक उपहार विलेख द्वारा किए गए अंतरण का प्रश्न है, वहाँ अंतरण की प्रकृति ‘उपहार’ है – वैध उपहार के लिए उसका स्वीकृत होना अनिवार्य है – उपहार विलेख में दाता द्वारा संपत्ति सुपुर्द करने तथा प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा लेने का कोई उल्लेख नहीं है – विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता, प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण अनुसूची ‘बी’ एवं ‘सी’ की सम्पूर्ण संपत्तियों का अधिकारी है, त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह ‘पश्चप्रभाव के सिद्धांत’ के अनुप्रयोग का अनिवार्य परिणाम है – उपहार की वैधता हेतु आवश्यक शर्त अनुपस्थित थी, अतः प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 उपहार विलेख के माध्यम से संपत्ति के पूर्ण स्वामी नहीं बन सकते। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के युक्तिसंगत निष्कर्ष में बिना किसी ठोस एवं टिकाऊ कारण के हस्तक्षेप किया – ऐसा निष्कर्ष तभी पलटा जा सकता है जब यह पाया जाए कि वह साक्ष्य के प्रतिकूल या विकृत मूल्यांकन पर आधारित है – अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विक्रय विलेख की वैधता के संबंध में दिए गए समवर्ती निष्कर्ष को बरकरार रखा जाता है – उपहार विलेख के माध्यम से संपत्ति अंतरण के संबंध में विवादित निर्णय निरस्त किया जाता है। [पैरा 16-31]

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 12 – दत्तक ग्रहण के प्रभाव – ‘पश्चप्रभाव सिद्धांत’: अभिनिर्धारित किया गया कि यह सिद्धांत यह है कि विधवा द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण उसके पति की मृत्यु की तिथि से प्रभावी माना जाता है, जिससे संयुक्त संपत्ति में तात्कालिक सहभाजन अधिकार उत्पन्न होता है, अर्थात् दत्तक संतान को ऐसे माना जाता है मानो वह मृत पति से जन्मी हो और इस प्रकार वह उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। [पैरा 18]

### उद्धृत निर्णयजन्य विधि

कासाबाई तुकाराम कारवार एवं अन्य बनाम निवृत्ति (मृत) उनके विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य, [2022 आई.एन.एस.सी. 733](#) : [\[2022\] 5 एस.सी.आर. 899](#) : [2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन 918](#);

श्रीपद गजानन सुथंकर बनाम दत्ताराम काशीनाथ सुथंकर, [1974 आई.एन.एस.सी. 43](#) : [\[1974\] 3](#)

[एस.सी.आर. 474](#) : [\(1974\) 2 एस.सी.सी. 156](#) — पर निर्भर किया गया।

मस्त. देउ एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य (1998) [8 एस.सी.सी. 701](#) — संदर्भित।

## डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

### अधिनियमों की सूची

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956; हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882।

### प्रमुख शब्दों की सूची

दत्तक ग्रहण; पूर्ण स्वामी; दत्तक पुत्र का संपत्तियों में अधिकार; पश्चप्रभाव सिद्धांत; दत्तक माता द्वारा विक्रय विलेख का निष्पादन; दत्तक माता द्वारा उपहार विलेख का निष्पादन; अंतरण की प्रकृति; वैध अंतरण; वैध उपहार के घटक; उपहार का प्रस्ताव एवं स्वीकृति; उपहार का सुपुर्दगी न होना; विधिक अर्थ में उपहार की स्वीकृति का अभाव; दत्तक माता पूर्ण स्वामिनी; दत्तक पुत्र एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी।

### मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं. 36-37/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ सर्किट बेंच द्वारा आर.एफ.ए. सं. 100168 एवं 100247/2018 में पारित दिनांक 14.02.2024 के निर्णय एवं आदेश से।

### अधिवक्तागण

सुश्री अपराजिता सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल प्रताप, महादेव गणपत पाटिल, शुभम राजहंस, अधिवक्तागण — अपीलकर्ता की ओर से।

शैलेश मडियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम/एस धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स, चंद्रशेखर ए. चकलाब्बी, एस.के. पांडेय, अवनीश कुमार, अंशुल राय, अभिनव गर्ग, सुश्री जी. अनुशा, महेश ठाकुर, सुश्री दिविजा महाजन, रणविजय सिंह चंदेल, श्रीमती गीतांजलि बेदी, चिन्मय देशपांडे, अनिरुद्ध संगानेरिया, अधिवक्तागण — उत्तरदाताओं की ओर से।

### सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

#### निर्णय

#### सी.टी. रविकुमार, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका द्वारा दायर अपीलों में अपीलकर्ता द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ पीठ द्वारा आर.एफ.ए. सं. 100168 एवं 100247/2018 में पारित दिनांक

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

14.02.2024 के सामान्य निर्णय को चुनौती दी गई है, जो कि तृतीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बेलगावी की न्यायालय द्वारा ओ.एस. सं. 122/2009 में पारित दिनांक 31.03.2018 के निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री से उत्पन्न हुआ है।

3. वही अपीलकर्ता ओ.एस. सं. 122/2009 में वादी था, जो वादित अनुसूची संपत्तियों के विभाजन एवं पृथक कब्जे के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध दायर किया गया था। वर्तमान उत्तरदाता सं. 1 से 4 उक्त वाद में क्रमशः मूल प्रतिवादी सं. 2 से 5 थे। प्रथम अपीलों के लंबित रहने के दौरान उत्तरदाता सं. 5/प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु हो गई और परिणामस्वरूप उसके विधिक प्रतिनिधियों को अतिरिक्त उत्तरदाता सं. 5ए से 5 एफ के रूप में पक्षकार बनाया गया, जो वर्तमान अपीलों में उत्तरदाता सं. 5 से 10 हैं।

4. प्रस्तुत अपीलों के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्य निम्नलिखित हैं:

एक भवकन्ना शाहापुरकर वादित अनुसूची संपत्तियों का मूल स्वामी था तथा मूल प्रतिवादी सं. 1—श्रीमती पार्वतीबाई उसकी विधिवत् विवाहित पत्नी थी। उक्त विवाह से कोई संतान नहीं थी और इस कारण प्रतिवादी सं. 1 की सहमति से उक्त भवकन्ना ने प्रतिवादी सं. 1 के साथ विवाह विच्छेद किए बिना लक्ष्मीबाई से विवाह किया। लक्ष्मीबाई से भवकन्ना शाहापुरकर के दो संतान—परशुराम एवं रेनुका—हुए। दिनांक 04.03.1982 को भवकन्ना शाहापुरकर की मृत्यु हो गई और दो विधवाएँ शेष रहीं। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लक्ष्मीबाई तथा उसके बच्चों परशुराम एवं रेनुका के विरुद्ध वादित अनुसूची संपत्तियों के विभाजन एवं पृथक कब्जे हेतु ओ.एस. सं. 266/1982 दायर किया गया। उक्त वाद में समझौते के आधार पर डिक्री पारित की गई तथा तत्पश्चात अंतिम डिक्री कार्यवाही में प्रतिवादी सं. 1 को अनुसूची 'ए' एवं 'डी' संपत्तियों में 9/32 हिस्सा आवंटित किया गया और इस प्रकार उक्त हिस्सा अर्जित किया गया। वर्तमान अपीलकर्ता/वादी को प्रतिवादी सं. 1—पार्वतीबाई द्वारा दिनांक 16.07.1994 को दत्तक ग्रहण किया गया। दत्तक ग्रहण विलेख प्राकृतिक पिता तथा दत्तक माता (प्रतिवादी सं. 1) एवं अन्य साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित कर पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ता दत्तक पुत्र के रूप में प्रतिवादी सं. 1 के साथ रहने लगा और प्राकृतिक परिवार में अपने सभी अधिकार त्याग दिए। दत्तक ग्रहण के समय अपीलकर्ता की आयु 21 वर्ष थी। ओ.एस. सं. 122/2009 में अपीलकर्ता/वादी का कथन था कि दत्तक ग्रहण के पश्चात अपीलकर्ता भवकन्ना का विधिक उत्तराधिकारी बन गया और इस कारण वादित अनुसूची संपत्तियों में आधे हिस्से का अधिकारी हो गया। अपीलकर्ता के अनुसार उक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी सं. 1 के पास दिनांक 13.12.2007 का विक्रय विलेख प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 के पक्ष में बिना सहमति निष्पादित करने का अधिकार

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

नहीं था और न ही दिनांक 27.08.2008 का उपहार विलेख प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 के पक्ष में निष्पादित करने का अधिकार था। पूर्व में अपीलकर्ता द्वारा वादित अनुसूची संपत्तियों के विभाजन की मांग की गई थी, किन्तु प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विभाजन से इंकार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मूल वाद संस्थित किया गया। उक्त वाद में विभाजन एवं पृथक कब्जे के अतिरिक्त दिनांक 13.12.2007 के विक्रय विलेख तथा दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित करने की प्रार्थना भी की गई।

5. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया जिसमें, अन्य बातों के साथ, यह कहा गया कि वादित अनुसूची संपत्तियों का वर्णन त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 16.07.1994 को अपीलकर्ता/वादी के दत्तक ग्रहण तथा तत्पश्चात उसके साथ रहने के तथ्य को स्वीकार किया गया, किन्तु यह कहा गया कि पति भवकन्ना की मृत्यु के पश्चात वादित अनुसूची संपत्तियों की पूर्ण एवं निरंकुश स्वामिनी बन गई और अपीलकर्ता/वादी के दत्तक ग्रहण के कारण स्वामित्व समाप्त नहीं हुआ। यह भी अस्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता/वादी की सहमति के बिना दिनांक 13.12.2007 का विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जा सकता था अथवा दिनांक 27.08.2008 का उपहार विलेख धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अस्वीकार किया गया कि दत्तक ग्रहण के आधार पर अपीलकर्ता/वादी वादित अनुसूची संपत्तियों में आधे हिस्से का अधिकारी बन गया और इस प्रकार भवकन्ना शाहापुरकर का विधिक उत्तराधिकारी हो गया।
6. प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 द्वारा संयुक्त रूप से पृथक लिखित कथन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उठाए गए तर्कों को अपनाया गया। यह कथन किया गया कि दिनांक 13.12.2007 के विक्रय विलेख के आधार पर वादित अनुसूची संपत्ति के कब्जे में खरीद की तिथि से ही हैं।
7. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने भी संयुक्त रूप से एक पृथक लिखित कथन प्रस्तुत किया, जिसमें मूलतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के उस कथन को दोहराया गया कि वाद अनुसूची संपत्तियों पर प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्ण स्वामित्व है, तथा विशेष रूप से यह कहा गया कि दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख के अंतर्गत उन्हें दी गई संपत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 का पूर्ण अधिकार और स्वामित्व था और उसके निष्पादन के पश्चात वे उसी के पूर्ण स्वामी बन गए।
8. प्रतिवादी सं. 6 द्वारा पृथक लिखित कथन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपीलकर्ता/वादी के दत्तक ग्रहण को भी अस्वीकार किया गया। आगे यह कहा गया कि ओ.एस.

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

सं. 266/1982 में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर वाद में हुए समझौता डिक्री के आधार पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रत्येक वादित अनुसूची संपत्ति में आधा हिस्सा देने की सहमति दी गई थी और प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं. 6 भवकन्ना एवं प्रतिवादी सं. 1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी बन गया, क्योंकि उसकी बहन रेनुका की मृत्यु दिनांक 12.05.1990 को कम आयु में ही हो गई थी।

9. प्रतिकूल अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तथा अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित किए गए:

#### “मुद्दे

- 1) क्या वादी वादित अनुसूची संपत्ति में ½ हिस्से का अधिकारी है?
- 2) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि दिनांक 13/12/2007 को निष्पादित विक्रय विलेख वादी पर बाध्यकारी नहीं है?
- 3) क्या प्रतिवादी सं. 1 वादित अनुसूची संपत्ति को प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 को विक्रय करने के लिए सक्षम था?
- 4) वादी अन्य किस राहत का अधिकारी है?
- 5) क्या आदेश या डिक्री पारित की जाए?

#### अतिरिक्त मुद्दा दिनांक 10/02/2012

- 1) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि वादी मृत प्रतिवादी सं. 1 का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि है?

#### अतिरिक्त मुद्दे दिनांक 20/10/2012

- 1) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि वादी मृत प्रतिवादी सं. 1 का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि है?
- 2) क्या प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 यह सिद्ध करते हैं कि प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 मृत प्रतिवादी सं. 1 के एकमात्र विधिक प्रतिनिधि हैं?
- 3) क्या प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 यह सिद्ध करते हैं कि दिनांक 27/08/2008 को मृत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख के आधार

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

पर वादपत्र के पैरा 1बी एवं 1सी में वर्णित संपत्तियों के पूर्ण स्वामी बन गए और उक्त उपहार विलेख वैध है तथा वादी का उक्त संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं है?

**दिनांक 29/07/2017 को निर्धारित अतिरिक्त मुद्दे:**

1) क्या प्रतिवादी सं. 6 यह सिद्ध करता है कि दिनांक 19/07/1994 का दत्तक ग्रहण विलेख वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 की वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाकर धोखाधड़ी एवं बलपूर्वक निष्पादित कराया गया?

2) क्या प्रतिवादी सं. 6 यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 द्वारा दिनांक 13/12/2007 का विक्रय विलेख अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 से अनुचित प्रभाव एवं दबाव के माध्यम से निष्पादित कराया गया?

10. यह उल्लेखनीय है कि वाद की लंबित अवधि के दौरान प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो गई।
11. ओ.एस. सं. 122/2009 में दिनांक 31.03.2018 के निर्णय के अनुसार वाद आंशिक रूप से डिफ्री किया गया तथा दिनांक 27.08.2008 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उत्तरदाता सं. 3 एवं 4 (प्रतिवादी सं. 4 एवं 5) के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित किया गया तथा वादित अनुसूची 'बी' एवं 'सी' संपत्तियाँ अपीलकर्ता को प्रदान की गईं, क्योंकि अपीलकर्ता प्रतिवादी सं. 1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी था। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में वादी का दावा अस्वीकार किया गया और इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 (उत्तरदाता सं. 1 एवं 2) के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को वैध ठहराया गया। उक्त परिस्थितियों में आर.एफ.ए. सं. 100247/2018 अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया तथा आर.एफ.ए. सं. 100168/2018 प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 द्वारा दायर किया गया, जिसमें वादी उत्तरदाता सं. 1 था तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 एवं 6 क्रमशः उत्तरदाता सं. 2 से 4 थे। अभिलेखों के अवलोकन तथा पक्षकारों के प्रतिवचनों पर विचार करने के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विचारणीय बिंदु निर्धारित किए गए:

- 1) क्या वादी वादित अनुसूची संपत्तियों में आधे हिस्से का अधिकारी है?
- 2) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी सं. 1 पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अनुसूची 'ए' संपत्ति प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 के पक्ष में विक्रय करने के लिए सक्षम नहीं था?

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

- 3) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी सं. 1 के पास अनुसूची 'बी' एवं 'सी' संपत्तियों के संबंध में प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त उपहार विलेख वादी पर बाध्यकारी नहीं है?
  - 4) क्या वादी यह सिद्ध करता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 एवं 3 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करना मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है?
  - 5) क्या प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 यह सिद्ध करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित करने का निर्णय मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण है?
  - 6) क्या आदेश या डिक्री पारित की जाए?
12. प्रथम बिंदु पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर ओएस सं. 266/1982 में पारित समझौता डिक्री का संज्ञान लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक्सट.डी14 अस्तित्व में आया तथा उसके फलस्वरूप प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में अंशों का आवंटन किया गया। आक्षेपित संयुक्त निर्णय के पैराग्राफ 22 से यह प्रकट होता है कि एक्सट.डी14 के अनुसार अनुसूची 'ए' से 'डी' संपत्तियों में केवल 9/32 अंश प्रतिवादी को आवंटित किया गया और उसके द्वारा अर्जित किया गया। अंततः, उच्च न्यायालय ने पाया कि एक्सट.डी14 के अनुसार अर्जित संपत्तियों के संबंध में प्रतिवादी सं.1 उसका पूर्ण स्वामी बन गया।
13. दिनांक 14.02.2024 के आक्षेपित संयुक्त निर्णय के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आरएफए सं. 100247/2018 को निरस्त किया तथा उत्तरदाता सं. 4 और 5 द्वारा दायर आरएफए सं. 100168/2018 को स्वीकार किया, और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया गया। डिक्री के निरस्तीकरण के फलस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर वाद अर्थात् ओएस सं. 122/2009 को निरस्त कर दिया गया। आरएफए सं. 100247/2018 के निरस्तीकरण के दृष्टिगत, उसमें दायर अंतरवर्ती आवेदन अर्थात् आईए सं. 1/2018, जो अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए था, को अस्तित्वहीन माना गया और परिणामस्वरूप उसे भी निरस्त कर दिया गया। उक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता, जो वादी था, ने वर्तमान अपीलें दायर कीं।

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

14. उपर्युक्त तथ्यों के वर्णन के दृष्टिगत, प्रतिद्वंद्वी कथनों पर विचार करने से पूर्व, यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि इस मामले में निहित प्रश्नों के संबंध में प्रासंगिक विधिक प्रावधानों तथा स्थापित विधि का उल्लेख किया जाए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 14(1) इस प्रकार है:

“14. किसी हिन्दू स्त्री की संपत्ति उसका पूर्ण स्वामित्व होगी।— (1) किसी हिन्दू स्त्री के स्वामित्वाधीन कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अर्जित की गई हो या पश्चात, उसके द्वारा पूर्ण स्वामित्व के रूप में धारण की जाएगी और सीमित स्वामित्व के रूप में नहीं।

*स्पष्टीकरण.*— इस उपधारा में “संपत्ति” में चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियाँ सम्मिलित हैं, जो किसी हिन्दू स्त्री द्वारा उत्तराधिकार या वसीयत द्वारा, या विभाजन पर, या भरण-पोषण अथवा भरण-पोषण के बकाया के स्थान पर, या किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह संबंधी हो या नहीं, विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात, उपहार द्वारा, या स्वयं के कौशल या परिश्रम द्वारा, या क्रय द्वारा, या अधिकारप्राप्ति द्वारा, या किसी अन्य प्रकार से अर्जित की गई हो, तथा ऐसी कोई भी संपत्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व उसके पास *स्त्रीधन* के रूप में धारण की गई हो।

(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात उस संपत्ति पर लागू नहीं होगी जो उपहार के रूप में या वसीयत के अंतर्गत या किसी अन्य दस्तावेज के अंतर्गत या किसी सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश के अंतर्गत या किसी पंचाट निर्णय के अंतर्गत अर्जित की गई हो, जहाँ उपहार, वसीयत या अन्य दस्तावेज अथवा डिक्री, आदेश या पंचाट निर्णय की शर्तों में ऐसी संपत्ति में सीमित अधिकार निर्धारित किया गया हो।”

15. अधिनियम की धारा 13 इस प्रकार है:

“13. **डिग्रियों की गणना।**—(1) अग्न्यात या संजात के मध्य उत्तराधिकार के क्रम का निर्धारण करने के उद्देश्य से, संबंध का निर्धारण निर्वसीय व्यक्ति से उत्तराधिकारी तक आरोहण की डिग्रियों या अवरोहण की डिग्रियों या दोनों के आधार पर, जैसा भी प्रकरण हो, किया जाएगा।

(2) आरोहण की डिग्रियाँ तथा अवरोहण की डिग्रियाँ निर्वसीय व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए गणना की जाएँगी।

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

(3) प्रत्येक पीढ़ी एक डिग्री का गठन करती है, चाहे वह आरोही हो या अवरोही।”

16. अपीलकर्ता के इस कथन के दृष्टिगत कि उसको प्रतिवादी सं.1 द्वारा गोद लिया गया था, सर्वप्रथम गोद लेने से संबंधित विधि पर विचार किया जाएगा। यद्यपि प्रतिवादियों द्वारा गोद लेने का खंडन करने का प्रयास किया गया, तथापि यह एकसमान रूप से पाया गया कि प्रतिवादी सं.1 ने अपीलकर्ता/वादी को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी ने मौखिक साक्ष्य द्वारा तथा एक्सट.पी1 पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत कर गोद लेने को सिद्ध कर दिया है। न्यायालयों ने यह भी पाया कि प्रतिवादी सं.1 ने अपने लिखित कथन में स्वीकार किया कि उसने वादी को गोद लिया था। इस संदर्भ में, **सुश्री देउ और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य,**<sup>1</sup> के निर्णय का उल्लेख प्रासंगिक है, जिसमें इस न्यायालय ने हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (संक्षेप में ‘1956 का अधिनियम’) की धारा 16 के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि जब भी विधि के अंतर्गत पंजीकृत कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो गोद लेने का अभिलेखन करता है और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो न्यायालय यह अनुमान करेगा कि गोद लेना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न किया जाए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि 1956 के अधिनियम की धारा 16 के दृष्टिगत, पंजीकृत गोदनामा को चुनौती देने वाले व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र कार्यवाही द्वारा उसको असिद्ध करना संभव है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता/वादी ने प्रतिवादी सं.1 द्वारा गोद लिए जाने के तथ्य को सिद्ध कर दिया है और इस संबंध में उसने एक्सट.पी1, जो एक पंजीकृत गोदनामा है, प्रस्तुत कर सिद्ध किया है तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं.1 ने स्वयं अपने लिखित कथन में गोद लेने के तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसी परिस्थितियों में स्थिति यह है कि अपीलकर्ता/वादी को दिनांक 16.07.1994 को प्रतिवादी सं.1 द्वारा निर्विवाद रूप से गोद लिया गया था।
17. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। वर्तमान मामले में निहित प्रश्नों के समुचित विचार हेतु 1956 के अधिनियम की धारा 12(क) का उल्लेख करना उपयुक्त है। यह इस प्रकार है:

“12. **दत्तक ग्रहण के प्रभाव।**— दत्तक लिया गया बालक, दत्तक ग्रहण की तिथि से सभी प्रयोजनों के लिए अपने दत्तक पिता या माता का बालक माना जाएगा और उस तिथि से बालक के जन्म परिवार में उसके सभी संबंध विच्छेदित माने जाएँगे तथा उनके स्थान पर दत्तक परिवार में दत्तक ग्रहण द्वारा उत्पन्न संबंध स्थापित हो जाएँगे;

## डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

(क)...

(ख)...

(ग) दत्तक बालक किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित नहीं करेगा जो दत्तक ग्रहण से पूर्व उसमें निहित हो चुकी थी।”

18. अतः, 1956 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान (क) के अनुसार यह स्पष्ट है कि दत्तक बालक किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित नहीं करेगा जो दत्तक ग्रहण से पूर्व उसमें निहित हो चुकी थी। यह तथ्य पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि दत्तक ग्रहण की तिथि 16.07.1994 थी। प्रसंगवश ‘पश्चप्रभाव के सिद्धांत’ का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है। उक्त सिद्धांत यह है कि विधवा द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण उसके पति की मृत्यु की तिथि से संबंधित माना जाएगा, जिससे संयुक्त संपत्ति में तत्काल सहभाज्यता हित उत्पन्न होता है, अर्थात् दत्तक बालक को इस प्रकार माना जाता है जैसे वह मृत पति से जन्मा हो और इस प्रकार उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त करता है। कसाबाई तुकाराम करवार और अन्य बनाम निवृत्ति (मृत) विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से और अन्य<sup>2</sup> में, इस न्यायालय ने श्रीपद गजानन सुथंकर बनाम दत्ताराम काशीनाथ सुथंकर<sup>3</sup> के पैराग्राफ 6 को स्वीकृति सहित उद्धृत किया, जो इस प्रकार है:-

“10. जहाँ तक पश्चप्रभाव के सिद्धांत का संबंध है, इस न्यायालय के निर्णय गोविंद हनुमंत राव देसाई बनाम नागप्पा उर्फ नरहरि लक्ष्मण राव देशपांडे और अन्य (1972) 1 एस सी सी 515 तथा श्रीपद गजानन सुथंकर बनाम दत्ताराम काशीनाथ सुथंकर (1974) 2 एस सी सी 156 का उल्लेख पर्याप्त है। अतिरिक्त रूप से, श्रीपद गजानन सुथंकर (उपर्युक्त) के पैराग्राफ 6, 7 और 9 का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।

6. यह स्थापित विधि है कि विधवा द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण दत्तक पिता की मृत्यु की तिथि से संबंधित माना जाता है, जो इस मामले में वर्ष 1921 में हुई थी। वास्तव में, वर्तमान मामले की जटिलता ‘रिलेशन बैंक’ की इस विधिक कल्पना के प्रयोग तथा उस कल्पना की सीमा से उत्पन्न होती है, वर्ष 1944 के विभाजन के संदर्भ में, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति तथा इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, जिनमें अंतिम निर्णय गोविंद बनाम नागप्पा है। अपीलकर्ता के अनुसार,

2 [2022 आईएनएससी 733](#): [2022] 5 एससीआर 899 : 2022 एससीसी ऑनलाइन 918

3 [1974 आईएनएससी 43](#): [1974] 3 एससीआर 474 : (1974) 2 एससीसी 156

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

दत्तक पुत्र के अधिकार, जो 'रिलेशन-बैंक' के सिद्धांत से सुसज्जित हैं, को पूर्व प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, जिसके लिए दिशा-निर्देश निर्णयों से उपलब्ध हैं। निःसंदेह यह सत्य है कि "जब मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है और विधवा उसके लिए विधिपूर्वक पुत्र को गोद लेती है, तो संयुक्त संपत्ति में सहभाज्यता हित दत्तक ग्रहण द्वारा तत्काल उत्पन्न होता है, जो मृत सहभाजक के हित के समान होता है, और वह तुरंत दत्तक पुत्र में निहित हो जाता है।" (देखें हिंदू विधि पर मुल्ला, 13वाँ संस्करण, पृष्ठ 516.)

11. तथापि, वही लेखक यह भी इंगित करता है कि:

"दत्तक पुत्र के अधिकार प्रथम बार उसके दत्तक ग्रहण के समय उत्पन्न होते हैं। वह दत्तक पुत्र के रूप में अपने अधिकारों के कारण उन व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित कर सकता है जिनमें दत्तक पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति निहित हो गई थी, किन्तु पूर्व धारक द्वारा किए गए सभी विधिसम्मत हस्तांतरण उस पर बाध्यकारी होंगे। पूर्व हस्तांतरणों को चुनौती देने का उसका अधिकार उस धारक की क्षमता पर निर्भर करेगा जिसने हस्तांतरण किया तथा हस्तांतरण की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। जब धारक पुरुष हो, जिसके पास हस्तांतरण का असीमित अधिकार हो, जैसे संयुक्त परिवार का अंतिम जीवित सदस्य, तो दत्तक पुत्र हस्तांतरण को चुनौती नहीं दे सकता। स्त्रियों के मामले में, जिनके पास दत्तक ग्रहण से पृथक भी सीमित हस्तांतरण अधिकार होते हैं, हस्तांतरण तभी वैध होंगे जब वे विधिक आवश्यकता द्वारा समर्थित हों।" (उपर्युक्त; पृष्ठ 516-517; पैरा 507)

"दत्तक पुत्र अपने दत्तक पिता द्वारा दत्तक ग्रहण से पूर्व किए गए हस्तांतरणों से उसी सीमा तक बंधित होगा, जिस सीमा तक एक प्राकृतिक पुत्र बंधित होता।" (उपर्युक्त; पृष्ठ 517 : पैरा 508)

7. यह स्थापित विधि है कि दत्तक पुत्र के अधिकार केवल दत्तक ग्रहण के क्षण से उत्पन्न होते हैं और विधवा द्वारा दत्तक ग्रहण से पूर्व किए गए सभी हस्तांतरण, यदि वे विधिक आवश्यकता के लिए या अन्यथा विधिसम्मत रूप से किए गए हों, जैसे निकटवर्ती प्रत्यावर्तकों की सहमति से, तो वे दत्तक पुत्र पर बाध्यकारी होते हैं।"

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

19. वस्तुतः, प्रतिवादियों, जिन्होंने अपीलकर्ता के दावे का खंडन किया, जिनमें प्रतिवादी सं.1 भी सम्मिलित है, ने 'अधिनियम' की धारा 14(1) तथा 1956 के अधिनियम की धारा 12(सी) के साथ-साथ ओएस सं. 266/1982 में पारित समझौता डिक्री पर भरोसा करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं.1 दत्तक ग्रहण तथा उपर्युक्त प्रावधानों के प्रवर्तन के कारण, दिनांक 16.07.1994 को अपीलकर्ता/वादी के दत्तक ग्रहण से बहुत पूर्व ही वाद अनुसूची संपत्तियों का पूर्ण स्वामी बन गया। वास्तव में, यह तर्क इस बात को स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रतिवादी सं.1 अपीलकर्ता/वादी के दत्तक ग्रहण से पूर्व ही वाद अनुसूची संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया था तथा प्रतिवादी सं.2 और 3 (यहाँ उत्तरदाता सं.1 और 2) के पक्ष में दिनांक 13.12.2007 का विक्रय विलेख तथा प्रतिवादी सं.4 और 5 (यहाँ उत्तरदाता सं.3 और 4) के पक्ष में दिनांक 27.08.2007 का उपहार विलेख निष्पादित किया गया, अतः अपीलकर्ता/वादी उक्त प्रतिवादी सं.1 द्वारा किए गए ऐसे हस्तांतरणों से बंधित है।
20. उपर्युक्त विधिक स्थिति तथा वर्तमान मामले में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, विचारणीय महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न यह है कि ओएस सं. 266/1982 में पारित समझौता डिक्री का प्रभाव क्या है तथा क्या वह अपीलकर्ता पर बाध्यकारी होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता/वादी का दत्तक ग्रहण दिनांक 16.07.1994 को हुआ था तथा दत्तक विलेख एक पंजीकृत विलेख है जिसे प्रतिवादियों द्वारा, यद्यपि 1956 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत इसकी अनुमति है, असिद्ध नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्विवाद है कि प्रश्नगत विक्रय विलेख केवल दिनांक 13.12.2007 को प्रतिवादी सं.1 द्वारा निष्पादित किया गया तथा उपहार विलेख भी केवल दिनांक 27.08.2007 को उसके द्वारा निष्पादित किया गया। अन्य शब्दों में, विक्रय विलेख तथा उपहार विलेख दोनों ही प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपीलकर्ता के दिनांक 16.07.1994 को दत्तक ग्रहण के पश्चात निष्पादित किए गए। इसी संदर्भ में उपर्युक्त प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है।
21. जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, प्रतिवादी सं.1 ने अपने पति भावकन्ना, भावकन्ना की दूसरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई, तथा भावकन्ना के माध्यम से लक्ष्मीबाई से उत्पन्न संतान परशुराम और रेणुका के विरुद्ध ओएस सं. 266/1982 दायर किया। यह सत्य है कि उक्त वाद का समझौता कर लिया गया और समझौता याचिका के अनुसार डिक्री पारित की गई। प्रतिवादी सं.1 ने अंतिम डिक्री कार्यवाही सं. 75/1988 दायर की और उक्त कार्यवाही में पक्षकारों ने समझौता किया तथा समझौता याचिका को एक्सट.डी14 के रूप में अंकित किया गया और उसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं.1 को ए से डी अनुसूची संपत्तियों में 9/32 अंश आवंटित किया गया। निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता/वादी का दत्तक ग्रहण समझौता डिक्री तथा एक्सट.डी14 के पश्चात हुआ, जिसके अनुसार प्रतिवादी सं.1 को उपर्युक्त अंश आवंटित किए गए। ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न यह है कि

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

क्या 'अधिनियम' की धारा 14(1) तथा 1956 के अधिनियम की धारा 12(सी) के प्रवर्तन के कारण प्रतिवादी सं.1, दिनांक 16.07.1994 को अपीलकर्ता के दत्तक ग्रहण से पूर्व ही संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया।

22. स्पष्टतः, वर्तमान मामले में, दत्तक पिता की मृत्यु के पश्चात दिनांक 16.07.1994 को प्रतिवादी सं.1 द्वारा अपीलकर्ता/वादी का दत्तक ग्रहण किया जाना, अपीलकर्ता/वादी द्वारा सिद्ध किया गया है तथा यह उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य को प्रतिवादी सं.1 ने अपने लिखित कथन में स्वीकार भी किया है। ऐसी परिस्थितियों में, 'पश्चप्रभाव के सिद्धांत' के दृष्टिगत तथा श्रीपद गजानन सुथंकर के मामले (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि, जिस पर कसाबाई तुकाराम करवार के मामले (उपर्युक्त) में सहमति व्यक्त की गई, को लागू करते हुए, भावकन्ना शाहपुरकर की विधवा प्रतिवादी सं.1 द्वारा किया गया दत्तक ग्रहण दत्तक पिता की मृत्यु की तिथि, अर्थात् 04.03.1982 से संबंधित माना जाएगा, किन्तु प्रतिवादी सं.1 द्वारा किए गए सभी विधिसम्मत हस्तांतरण अपीलकर्ता/वादी पर बाध्यकारी होंगे। श्रीपद गजानन सुथंकर के मामले (उपर्युक्त) के पैराग्राफ 11 में अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्व हस्तांतरणों को चुनौती देने का अधिकार प्रतिवादी सं.1 की क्षमता, जिसने हस्तांतरण किया, तथा हस्तांतरण की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
23. वर्तमान मामले में चुनौती के अधीन हस्तांतरणों में प्रथम वह है जिसमें प्रतिवादी सं.1 ने दिनांक 13.12.2007 के पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 'ए' अनुसूची संपत्ति के संबंध में प्रतिवादी सं.2 और 3 के पक्ष में विक्रय किया। उक्त विषय पर विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बीच समरूपता है। न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं.1 को उक्त संपत्ति के विक्रय का पूर्ण अधिकार प्राप्त था तथा विक्रय विधि के अनुसार प्रतिवादी सं.2 और 3 के पक्ष में किया गया। यह स्वीकार किया गया है कि विक्रय के संबंध में प्रतिवादी सं.1 ने दिनांक 13.12.2007 का विक्रय विलेख निष्पादित किया और उसके पास यह कोई प्रकरण नहीं था कि उसने विक्रय प्रतिफल प्राप्त नहीं किया। 'पश्चप्रभाव के सिद्धांत' तथा कसाबाई तुकाराम करवार के मामले (उपर्युक्त) एवं श्रीपद गजानन सुथंकर के मामले (उपर्युक्त) के निर्णयों के अनुपात को लागू करने पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता/वादी उक्त हस्तांतरण से बंधित है। यह ओएस सं. 122/2009 में पारित समझौता डिक्री, उसके पश्चात एक्सट.डी14 तथा उसके आधार पर अंश के आवंटन के संयुक्त प्रभाव के कारण है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विक्रय विलेख के निष्पादन के तथ्य का अपीलकर्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया है, किन्तु उसका तर्क केवल यह है कि प्रतिवादी सं.1 उसकी सहमति और जानकारी के बिना संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता था। यद्यपि उक्त हस्तांतरण उसके दत्तक ग्रहण के पश्चात हुआ, तथापि इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी सं.1 को दिनांक 13.12.2007 के उक्त

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

विक्रय विलेख में वर्णित संपत्ति के संबंध में पूर्ण अधिकार और स्वामित्व प्राप्त था तथा विधि के अनुसार वैध विक्रय किया गया, प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रतिवादी सं.2 और 3 के पक्ष में संपत्ति के उक्त हस्तांतरण के विरुद्ध अपीलकर्ता की चुनौती में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि उक्त विक्रय विलेख के संबंध में विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 13.12.2007 के पंजीकृत विक्रय विलेख के अंतर्गत किए गए हस्तांतरण को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता/वादी द्वारा दायर आरएफए सं. 100247/2018 के निरस्तीकरण की पुष्टि की जानी चाहिए।

24. प्रतिवादी सं.1 द्वारा संपत्ति का अन्य हस्तांतरण, जो चुनौती के अधीन है, वह 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों का दिनांक 27.08.2008 के पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से प्रतिवादी सं.4 और 5 के पक्ष में किया गया हस्तांतरण है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त हस्तांतरण के संबंध में विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बीच मतभेद है। स्पष्टतः, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रतिवादी सं.4 और 5 के पक्ष में निष्पादित दिनांक 27.08.2008 का उपहार विलेख शून्य एवं अवैध है तथा वादी पर बाध्यकारी नहीं है। ऐसे उद्घोषणा के परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अपीलकर्ता/वादी, मृतक प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण, संपूर्ण 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों का अधिकारी है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय ने यह पाया कि चूँकि प्रतिवादी सं.1 उक्त वाद अनुसूची संपत्तियों का भी पूर्ण स्वामी था, अतः अपीलकर्ता/वादी को प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रतिवादी सं.4 और 5 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार विलेख को चुनौती देने का कोई अधिकार-स्थान नहीं है। उक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं.4 और 5 द्वारा दायर आरएफए सं. 100168/2018 को स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने उस सीमा तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया तथा फलस्वरूप अपीलकर्ता/वादी द्वारा दायर वाद को निरस्त कर दिया।
25. 'पश्चप्रभाव के सिद्धांत' तथा कासाभाई तुकाराम कारवार के मामले (उपर्युक्त) एवं श्रीपद गजानन सुथंकर के मामले (उपर्युक्त) में प्रतिपादित अनुपात के प्रकाश में, यह पूर्व में ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि प्रतिवादी सं.1 द्वारा किए गए सभी विधिसम्मत हस्तांतरण अपीलकर्ता/वादी पर बाध्यकारी होंगे तथा पूर्व हस्तांतरणों को चुनौती देने का अधिकार उस धारक की क्षमता, जिसने हस्तांतरण किया, तथा हस्तांतरण की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हस्तांतरण की प्रकृति उपहार है तथा कथित रूप से यह प्रतिवादी सं.4 और 5 के पक्ष में किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी सं.4 और 5, यद्यपि यह प्रकरण प्रस्तुत करते हैं कि पूर्व में प्रतिवादी सं.1 ने उक्त संपत्तियों के संबंध में उनके पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, तथापि स्वयं यह

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

स्वीकार करते हैं तथा अभिवेदन करते हैं कि तत्पश्चात उक्त संपत्तियाँ दिनांक 27.08.2008 के पंजीकृत उपहार विलेख के अनुसार उपहार स्वरूप प्रदान की गईं। यह तथ्य कि प्रतिवादी सं.4 और 5 स्वयं उपहार विलेख पर निर्भर करते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि यदि कोई वसीयत थी भी, तो वह निरस्त कर दी गई थी। किसी भी स्थिति में, यह तथ्य है कि प्रतिवादी सं.4 और 5 ने उस पर निर्भरता नहीं रखी।

26. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (संक्षेप में 'टीपी अधिनियम') की धारा 122 उपहार को इस प्रकार परिभाषित करती है:

**“122. “उपहार” की परिभाषा।—**“उपहार” का अर्थ है किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति का स्वेच्छा से तथा बिना प्रतिफल के, एक व्यक्ति द्वारा, जिसे दाता कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति को, जिसे प्राप्तकर्ता कहा जाता है, अंतरण करना, और उसका स्वीकार प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया जाना।

**स्वीकार कब किया जाना है।—**ऐसा स्वीकार दाता के जीवनकाल के दौरान तथा उस समय किया जाना चाहिए जब दाता देने में सक्षम हो।

यदि प्राप्तकर्ता स्वीकार से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उपहार शून्य होगा।”

27. टीपी अधिनियम की धारा 122 का अवलोकन करने से वैध उपहार के पूर्वापेक्षाओं के संबंध में स्पष्टता प्राप्त होती है। इसके अनुसार, वैध उपहार के गठन हेतु दो बातें आवश्यक हैं, अर्थात्, (i) प्रस्ताव तथा (ii) उसका स्वीकार। प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रतिवादी सं.4 और 5 के पक्ष में उपहार के माध्यम से किए गए हस्तांतरण के संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करने पर यह उल्लेखनीय है कि उसे शून्य एवं अवैध घोषित करने के लिए अनेक कारण दिए गए हैं। प्रारंभ में, यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख में इस प्रकार अभिलेखित है:

“जबकि, प्राप्तकर्ता दाता के प्राकृतिक पौत्र/पौत्रियाँ हैं अर्थात् (दाता की अपनी पुत्री के अपने बच्चे), दाता अनुसूची में वर्णित संपत्तियों का पूर्ण एवं निरपेक्ष स्वामी है, जो कि निम्नलिखित अनुसूची में अधिक विस्तार से वर्णित हैं और आगे 'अनुसूची संपत्ति' के रूप में संदर्भित हैं, अंतिम न्यायालय डिक्री सं. एफडीपी -75/88, दिनांक 02.01.1990 तथा ई-एक्स-ई. सं. 319/90 R. सं.: 1799 दिनांक 05.09.1990 के आधार पर। तथा उक्त अनुसूची में वर्णित संपत्तियाँ विशिष्ट संपत्तियाँ हैं जो उक्त दाता के वास्तविक भौतिक कब्जे एवं उपभोग में हैं।”

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

28. उपर्युक्त उद्धृत उपहार विलेख के अभिलेख के अनुसार, प्राप्तकर्ता दाता के प्राकृतिक पौत्र/पौत्रियाँ हैं अर्थात् दाता की अपनी पुत्री के अपने बच्चे। किन्तु तथ्य यह है कि यहाँ तक कि प्रतिवादी साक्षी, जो प्रतिवादी सं.2 और 3 से संबंधित हैं, यह स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी सं.4 और 5, प्रतिवादी सं.1 की अपनी पुत्री के बच्चे नहीं हैं। दत्तक विलेख स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि दत्तक माता, जो प्रतिवादी सं.1 है, संतानहीन थी। अतः, जब स्वीकृत स्थिति यह है कि प्रतिवादी सं.1 की कोई संतान नहीं थी, तब प्रतिवादी सं.4 और 5 यह दावा नहीं कर सकते कि वे प्रतिवादी सं.1 की अपनी पुत्री के अपने बच्चे हैं। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त उद्धृत अभिलेख के अनुसार, उपहार विलेख में उल्लिखित अनुसूची संपत्तियाँ अर्थात् वाद अनुसूची 'बी' तथा 'सी' संपत्तियाँ, प्रतिवादी सं.1 के वास्तविक भौतिक कब्जे एवं उपभोग में विशिष्ट संपत्तियाँ हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता/वादी का स्वयं का प्रकरण यह है कि उक्त वाद अनुसूची संपत्तियों पर उसका विशिष्ट कब्जा है। प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि ई एक्स टी. डी6(ए) उपहार विलेख में दाता द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण तथा प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा ग्रहण करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी सं.4 का परीक्षण वाद में डी डब्ल्यू-3 के रूप में किया गया। जिरह के दौरान उसने यह बयान दिया कि उसको यह ज्ञात नहीं है कि सी टी एस सं. 667 तथा सी टी एस सं. 4879/67 और 278 में सम्मिलित संपत्तियों पर कौन कब्जे में है, उसने यह भी कहा कि उसको पूर्णतः जानकारी नहीं है कि सी टी एस 667 का उपयोग कौन कर रहा है तथा सी टी एस सं. 4879/67 में कौन निवास कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त संपत्तियाँ ही वाद में 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों के रूप में वर्णित हैं तथा दिनांक 27.08.2008 के ई एक्स टी. डी6(ए) उपहार विलेख के अनुसार प्रतिवादी सं.4 और 5 को उपहार स्वरूप प्रदान की गई संपत्तियाँ हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि डी डब्ल्यू-3 के रूप में जिरह के दौरान चतुर्थ प्रतिवादी ने यह भी बयान दिया कि जब उपहार विलेख पंजीकृत किया गया था, तब उक्त संपत्तियाँ उसके कब्जे में नहीं थीं तथा उसने स्वेच्छा से यह कहा कि वे प्रतिवादी सं.1 के जीवनकाल तक उसके कब्जे में थीं। उसके मौखिक साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसने स्वीकार किया कि उक्त संपत्ति का कब्जा न तो ई एक्स टी. डी6 के निष्पादन की तिथि पर और न ही उसके पश्चात कभी ग्रहण किया गया। उक्त परिस्थितियों में, जिनका विशेष रूप से विस्तृत विचार किया गया, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रतिवादी सं.1 को ई एक्स टी. डी6(ए) उपहार विलेख की सामग्री का ज्ञान नहीं था तथा यह भी कि ई एक्स टी. डी6(ए) में उल्लिखित 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियाँ, न तो ई एक्स टी. डी6(ए) के निष्पादन की तिथि पर और न ही उसके पश्चात किसी समय प्रतिवादी सं.4 और 5 को कब्जे में प्रदान की गईं, और यहाँ तक कि न्यायालय के समक्ष परीक्षण के समय भी प्रतिवादी सं.4 को यह जानकारी नहीं थी कि 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों पर किसका कब्जा है। यही स्थिति प्रतिवादी सं.5 के संबंध में भी थी। इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने इस

### श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य

तथ्य का भी संज्ञान लिया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिवादी सं.1 अपनी मृत्यु के समय डी डब्ल्यू-5 के साथ नानावाड़ी में निवास कर रही थी। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, जब तथ्य यह है कि उपहार विलेख द्वारा आच्छादित संपत्तियाँ न तो कथित उपहार विलेख के निष्पादन के समय और न ही किसी बाद के समय पर प्रदान की गईं तथा यह भी कि प्रतिवादीगण का ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि उन्होंने किसी भी समय, चाहे प्रतिवादी सं.1 के जीवनकाल में या उसके पश्चात, उक्त संपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाया हो, तब यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि हुई कि प्रतिवादी सं.4 और 5, ई एक्स टी. डी6(ए) उपहार विलेख के माध्यम से 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों के पूर्ण स्वामी नहीं बन सकते थे।

29. उक्त निष्कर्ष, जो विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख के अंतर्गत किए गए हस्तांतरण के संबंध में प्रथम अपील में निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय के आक्षेपित संयुक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परीक्षण यह प्रकट करता है कि इस मुद्दे के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए सुदृढ़ तर्कों में बिना विस्तृत विचार-विमर्श के तथा साथ ही बिना कोई उचित और स्थायी कारण प्रदान किए हस्तक्षेप कर उन्हें निरस्त कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित हो गया कि उपहार विलेख एक पंजीकृत विलेख है। यह तथ्य पूर्व में ही संज्ञान में लिया जा चुका है कि वैध होने के लिए उपहार का स्वीकार किया जाना एक आवश्यक पूर्वापेक्षा है। जब उपहार के प्राप्तकर्ताओं में से एक अर्थात् प्रतिवादी सं.4 का स्वयं का प्रकरण यह है कि संपत्ति दाता के जीवनकाल तक उसके ही कब्जे में थी, तो यह स्वयं यह प्रदर्शित करता है कि संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हुआ और अन्य शब्दों में विधिक अर्थ में कोई स्वीकार नहीं हुआ। यह तथ्य कि प्रतिवादी सं.4 ने स्वयं न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि उपहारित संपत्तियाँ किसके कब्जे में हैं, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को उचित ठहराता है। यह सत्य है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने तथा यदि विधिक रूप से आवश्यक हो तो विचारण न्यायालय के किसी भी निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने की शक्ति होती है। साथ ही, जब यह पाया जाता है कि किसी निश्चित मुद्दे के संबंध में निष्कर्ष प्रतिपादित करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा सुदृढ़ तर्क दिए गए हैं, तब बिना उपयुक्त स्थायी कारण दिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उपहार विलेख के संबंध में स्थिति का विस्तृत रूप से विचारण न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया है और जब यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसे वैध बनाने हेतु आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ अनुपस्थित थीं, तो ऐसे निष्कर्ष को तभी पलटा जा सकता था जब यह पाया जाता कि उक्त निष्कर्ष साक्ष्य के विकृत मूल्यांकन पर आधारित था।

### डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, उपर्युक्त चर्चा यह प्रकट करती है कि वैध उपहार के गठन हेतु आवश्यक पूर्वापेक्षा का अभाव है तथा विचारण न्यायालय द्वारा विचारित साक्ष्य उक्त निष्कर्ष का समर्थन करते हैं, अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित करना विचारण न्यायालय द्वारा उपर्युक्त परिस्थितियों में किया गया और उसी के आवश्यक परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता/वादी मृतक प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण संपूर्ण 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों का अधिकारी है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, डी डब्ल्यू-1 ने स्वयं अपने लिखित कथन में अपीलकर्ता/वादी को अपने पुत्र के रूप में गोद लेने को स्वीकार किया है तथा पंजीकृत दत्तक विलेख उससे सुदृढ़ होता है। ऐसी स्थिति में, यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता मृतक प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण उक्त संपत्तियों का अधिकारी है, त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह 'पश्चप्रभाव के सिद्धांत' तथा कसाबाई तुकाराम करवार के मामले (उपर्युक्त) एवं श्रीपद गजानन सुथंकर के मामले (उपर्युक्त) में प्रतिपादित अनुपात के अनुप्रयोग का अनिवार्य परिणाम है।

30. परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष कि प्रतिवादी सं.2 और 3 के पक्ष में दिनांक 13.12.2007 का विक्रय विलेख वैध है तथा अपीलकर्ता/वादी 'ए' अनुसूची संपत्ति में किसी भी अंश का अधिकारी नहीं है, की पुष्टि की जाती है और परिणामस्वरूप आरएफए सं. 100247/2018 के निर्णय के विरुद्ध अपील, अर्थात् एसएलपी (सी) सं. 10558/2024, निरस्त की जाती है।
31. आरएफए सं. 100168/2018 के निर्णय के विरुद्ध अपील, जो दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख के माध्यम से संपत्तियों के हस्तांतरण तथा उपहार विलेख से संबंधित विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के पलटने के विरुद्ध है, स्वीकार की जाती है और आरएफए सं. 100168/2018 में उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त एवं अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय का वह निर्णय एवं डिक्री, जिसमें दिनांक 27.08.2008 के उपहार विलेख को शून्य एवं अवैध घोषित किया गया है तथा यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता/वादी मृतक प्रतिवादी सं.1 का एकमात्र उत्तराधिकारी होने के कारण संपूर्ण 'बी' तथा 'सी' अनुसूची संपत्तियों का अधिकारी है, पुनर्स्थापित किया जाता है।
32. परिस्थितियों में व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

*मामले का परिणाम:* अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

**श्री महेश बनाम संग्राम एवं अन्य**

\* शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गईं: निधि जैन

\*यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।